25/3/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। वकील वादी को न्यायालय समय समाप्ति तक रुक-रुक कर आवाज लगवाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं आये। अतः अधिवक्ता वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 SRA 1951 का रिकॉर्ड में खारिज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णीत हेतु की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही की जावे। नियमानुसार न्यायालय में बुलाया जावे।

(सुनील शर्मा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,
रामगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.06.07 17:14:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner